पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या 24421/2016

थाना मामला संख्या -210 वर्ष-2014 थाना- खजांची हाट जिला- पूर्णिया से उत्पन्न

==========

मनोज कुमार साह, पुत्र दुर्गा प्रसाद साह, निवासी ग्राम खजांची हाट, थाना- के. हाट सहायक, जिला- पूर्णिया में।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. अंजय चंद्र किशोर उर्फ अंजन चंद्र किशोर, पुत्र स्वर्गीय मनिंद्र किशोर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णिया तथा राजीव रंजन, सिपी टोला, थाना- के. हाट, पूर्णिया के मकान में किराएदार के रूप में रहते हैं तथा पूर्वी चंपारण जिले के आजाद नगर, बलुआटोल, थाना- मोतिहारी के स्थायी निवासी हैं।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री राज कुमार, अधिवक्ता

श्री विजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री बिनोद कुमार संख्या 3, अ.लो.अ.

==========

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955—धारा 7—याचिकाकर्ता के रेस्तरां में प्राधिकरण द्वारा छापा मारा गया, जिसमें याचिकाकर्ता के रेस्तरां के रसोई के निकट एक कमरे में ग्यारह घरेलू सब्सिडीज़ प्राप्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर पाए गए—याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्राधिकरण परिसर में प्रवेश करने और परिसर की तलाशी

लेने तथा कथित सिलेंडरों की जब्ती का कोई अधिकार नहीं था, ने एलपीजी आदेश, 2000 का उल्लंघन किया है—छापेमारी टीम का नेतृत्व सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया गया—बिहार सरकार के खाद्य, उत्पाद शुल्क और वाणिज्य विभाग का 30.07.2005 का नोटिफिकेशन जो 30.07.2005 की असाधारण गजेट संख्या 413 में प्रकाशित हुआ है, में कहा गया है कि सूचीबद्ध सभी अधिकारियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अनुसार खोज और जब्ती करने का अधिकार होगा—आदेश में कोई अवैधता नहीं है—याचिका खारिज की गई।

(पैराग्राफ 6 से 8)

*क्र. एम.पी. संख्या 1046/2013; क्र. एम.पी. संख्या 3153 /2013—**सुभिन्न किया गया।***

*क्र. मिस. संख्या 21936/2011—**संदर्भित किया गया।***

*2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 319—**निर्भर किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

सीएवी निर्णय

दिनांक : 27-02-2025

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान एपीपी श्री बिनोद कुमार नं.3 को सुना।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दं प्र सं ') की धारा 482 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया (एस.डी.जे.एम., पूर्णिया) द्वारा दिनांक 02.12.2014 को पारित आदेश को रद्द किया जाए, जिसके तहत के. हाट (सहायक) पी.एस. प्रकरण संख्या 210/2014 से उत्पन्न जी.आर. केस संख्या 1259/2014 के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (संक्षेप में 'ई.सी. अधिनियम') की धारा 7 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार, सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी-सह-वरिष्ठ उप समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया तथा याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट के रसोईघर से सटे कमरे में कुल ग्यारह घरेलू सब्सिडीकृत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर पाए गए तथा जब्त किए गए सिलेंडरों में से आठ भरे हुए तथा तीन खाली थे तथा वे एच.पी. तथा इंडेन गैस एजेंसियों के थे।

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आदेश का विरोध करने के लिए उठाए गए मुख्य आधार यह हैं कि सबसे पहले, न तो सूचना देने वाले, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी और न ही छापेमारी दल के किसी अन्य अधिकारी को प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता के रेस्तरां में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार था, जो स्पष्ट रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 (संक्षेप में '**एलपीजी आदेश, 2000**') के खंड 13 का उल्लंघन है और केवल इस आधार पर, के. हट (सहायक) पी.एस. केस संख्या 210/2014 में किया गया पूरा अभियोजन और जांच कानून की दृष्टि से गलत है। इस आधार के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया है, जो **शीला शर्मा बनाम झारखंड**

राज्य, सीआर एम.पी. संख्या 1046/2013 और **कंचन उर्फ कंचन कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य, सीआर एम.पी. संख्या 3153/2013** में पारित किए गए थे।

दूसरे, याचिकाकर्ता एक निजी व्यक्ति है, इसलिए **अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य** के मामले में दं.प्र.सं. **विविध संख्या 21936/2011** में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पर ई.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि केवल एजेंट या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलर पर ही उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

तीसरा, जब्त सिलेंडर रेस्टोरेंट के किचन से सटे एक कमरे में रखे गए थे और उनमें से किसी का भी याचिकाकर्ता द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें उनके संबंधित मालिकों द्वारा याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट के परिसर के अंदर अपनी सुविधा के लिए रखा गया था और उक्त व्यक्ति रेस्टोरेंट से या तो कर्मचारी के रूप में या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के रूप में जुड़े हुए थे।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान एपीपी श्री बिनोद कुमार नंबर 3 ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एलपीजी आदेश, 2000 के खंड-13 का कोई उल्लंघन सूचनाकर्ता या छापा मारने वाली पार्टी के किसी अन्य सदस्य द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि सूचनाकर्ता छापे के समय इंस्पेक्टर के पद से नीचे नहीं था और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जी.एस.आर.आई. मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण एवं कदाचार निवारण का विनियमन) आदेश, 2005 (संक्षेप में **मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल विनियमन आदेश, 2005**) के खंड-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 जनवरी, 2008 को जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी सहायक जिला आपूर्ति अधिकारियों को संबंधित समयावधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के संबंध में किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा **अरविंद कुमार *(ऊपर)*** के मामले में

पारित आदेश में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि यह केवल मिट्टी के तेल की कालाबाजारी से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि केस डायरी में इस याचिकाकर्ता के रेस्तरां से बड़ी मात्रा में घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की बरामदगी को दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जो एक स्वीकार्य स्थिति है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव की जांच केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा की जा सकती है।

6. दोनों पक्षों को सुना गया, आदेश और संबंधित सामग्रियों का अवलोकन किया गया। वर्तमान मामला याचिकाकर्ता के रेस्तरां से 11 घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की बरामदगी से संबंधित है और ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी, पूर्णिया द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, याचिकाकर्ता का कथित कृत्य एलपीजी आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसका विवरण एफआईआर में ही उल्लिखित है। याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की वैधता को चुनौती देने के लिए लिया गया मुख्य आधार एलपीजी आदेश, 2000 के खंड-13(1) के प्रावधानों का कथित उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विधिवत अधिकृत हो या किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई भी अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत बिक्री अधिकारी के पद से नीचे का न हो, इस आदेश या इसके तहत किए गए किसी अन्य आदेश का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से:

> "(ए) किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन या भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले या इस्तेमाल किए जाने योग्य किसी भी जहाज या वाहन को रोककर उसकी तलाशी ले सकता है,
>
> (बी) किसी भी स्थान में प्रवेश करके उसकी तलाशी ले सकता है,

(सी) कंटेनर और/या उपकरणों जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व, दबाव नियामक और सील के साथ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के स्टॉक को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसके पास कारण है। यह विश्वास करना कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है।"

7. और याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, न तो सूचना देने वाला और न ही सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी, जिसने छापा मारने वाले दल का नेतृत्व किया और न ही छापा मारने वाले दल का कोई अन्य सदस्य याचिकाकर्ता के रेस्तरां के परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए सक्षम व्यक्ति था क्योंकि उनमें से किसी को भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा एलपीजी आदेश, 2000 के उल्लंघन या अनुपालन का पता लगाने के लिए परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और इस तरह, शुरू से ही पूरा अभियोजन पक्ष दूषित हो गया और ऐसी स्थिति में, ई.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने का आदेश कानून की नजर में अपने आप में खराब है।

उपरोक्त आधार के समर्थन में याचिकाकर्ता के वकील ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा **शीला शर्मा *(ऊपर)*** और **कंचन कुमार उर्फ कंचन कुमार सिंह *(ऊपर)*** के मामलों में पारित दो निर्णयों पर भरोसा किया है।

8. हालांकि राज्य या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किसी स्थान या परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की प्रक्रिया, जिसे एलपीजी आदेश, 2000 के खंड-13 के तहत अधिकृत नहीं किया गया है, उसके द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत हो जाएगी और उक्त स्थिति में उसे रद्द किया जाना चाहिए और इस संबंध में, **अवतार सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 319** में की गई टिप्पणी

प्रासंगिक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ई.सी. अधिनियम की धारा *7* के तहत अपराध के लिए एक अभियुक्त की सजा की वैधता की जांच करते हुए, जो कि ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने से संबंधित था, जिसमें जांच एक पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा की गई थी, जो जांच करने के लिए अधिकृत नहीं था, ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "**13.** मामले में तथ्य जैसा कि ऊपर देखा गया है, विवाद में नहीं हैं। एकमात्र तर्क यह उठाया गया है कि जिस व्यक्ति ने सिलेंडर जब्त किया था, उसकी शक्ति क्या है जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया। आदेश का खंड *7*, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है, उन अधिकारियों को निर्धारित करता है जिनके पास शक्ति है।
>
> "*7*. प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्ति:-
>
> *(1) सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का कोई अधिकारी, जो ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षक के पद से नीचे का न हो या किसी तेल कंपनी के बिक्री अधिकारी के पद से नीचे का न हो, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई व्यक्ति, इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि इस आदेश या इसके तहत किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया गया है:*
>
> *(क) किसी ऐसे जहाज या वाहन को रोककर उसकी तलाशी ले सकता है जिसके बारे में अधिकारी को विश्वास है कि उसका इस आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है;*
>
> *(ख) किसी स्थान में ऐसी सहायता या सहायता के साथ प्रवेश या तलाशी ले सकता है जो आवश्यक हो;*
>
> *(ग) यदि उसे संदेह है कि इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या होने वाला है, तो सिलेंडर,*

सिलेंडर वाल्व और दबाव नियामकों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के किसी भी स्टॉक की पूरी मात्रा को, ऐसे स्टॉक को ले जाने में प्रयुक्त वाहनों, जहाजों या किसी अन्य वाहन के साथ, ऐसी सहायता या सहायता के साथ जब्त करना और हटाना आवश्यक हो सकता है और उसके बाद कलेक्टर के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा के प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाले सिलेंडर, सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व, दबाव नियामकों, वाहनों, जहाजों या अन्य वाहनों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के स्टॉक के उत्पादन को सुरक्षित करने और ऐसे उत्पादन तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करना या करने के लिए अधिकृत करना....."."

"**16.** उपनिरीक्षक के पास आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार और शक्ति न होने के कारण उसके द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः अनाधिकृत होगी और उसे निरस्त किया जाना चाहिए।"

9. लेकिन वर्तमान मामले में जो याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट से ग्यारह घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों की बरामदगी से संबंधित है, याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया की अध्यक्षता वाली टीम द्वारा छापेमारी की गई थी जिसमें सूचक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी सदस्यों में से एक थे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि बिहार सरकार के खाद्य, उत्पाद एवं वाणिज्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.07.2005 के असाधारण राजपत्र संख्या 413 दिनांक 30.07.2005 के अनुसार छापेमारी दल का नेतृत्व करने वाले सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को क्रम संख्या 100 पर सूचीबद्ध किया गया है। संख्या 14 और अधिसूचना में कहा गया है कि सूचीबद्ध सभी अधिकारियों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अनुसार तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्नक-ए (1) पूरी तरह

से अप्रासंगिक है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार निवारण का विनियमन) आदेश, 2005 के खंड-7 के तहत बिहार सरकार द्वारा जारी एक अलग अधिसूचना शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जवाबी हलफनामे में उपलब्ध उक्त अधिसूचना वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे से निपटती नहीं है। निश्चित रूप से उनके द्वारा सही दलील दी गई है और बहुत आश्चर्य की बात है कि राज्य सही अधिसूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिसका विवरण पूरक जवाबी हलफनामे में उल्लिखित है, लेकिन आदेश देते समय, इस न्यायालय ने कार्यालय की मदद से सही/प्रासंगिक अधिसूचना प्राप्त की और यह पैराग्राफ संख्या में दिए गए बयान का समर्थन करता है। प्रति-शपथपत्र की धारा 6 के अनुसार, इसलिए, सुचक और सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी, जिन्होंने छापा मारने वाली टीम का नेतृत्व किया था, का याचिकाकर्ता के रेस्तरां के परिसर में प्रवेश और परिसर की तलाशी और कथित सिलेंडरों की जब्ती ने एलपीजी आदेश, 2000 का उल्लंघन नहीं किया है और एफआईआर के साथ जब्ती ज्ञापन है जो याचिकाकर्ता के रेस्तरां से ग्यारह घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की जब्ती दर्शाता है और केस डायरी में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपने बयानों में याचिकाकर्ता के रेस्तरां से सिलेंडरों की उक्त वसूली, तलाशी और जब्ती का समर्थन किया है जो ई.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित मामलों में की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले में लागू नहीं होती हैं और जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य आधारों का संबंध है, वे परीक्षण के अधीन हैं, जिसके लिए दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद ही ट्रायल कोर्ट द्वारा सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तदनुसार, यह न्यायालय इस याचिका में कोई

योग्यता नहीं पाता है और आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं पाता है, इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

10. हलफनामे में सही विवरण देने के बावजूद बिहार सरकार के गजट अधिसूचना की अप्रासंगिक प्रति दाखिल करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

11. इस मामले को आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ चार सप्ताह बाद प्रस्तुत करें।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्त्ति)

मैनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।